

कार्यालय, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म.प्र.  
विन्ध्याचल भवन, भोपाल - 462004  
(ई-मेल:-rca.audit@mp.gov.in दूरभाष नम्बर - 0755-2551098)

---

**‘सहकारी संस्थाओं के वर्ष 2023-24 के लेखाओं की वैधानिक संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक एवं संपरीक्षक फर्म की रजिस्ट्रार द्वारा मान्य सूची तैयार करने हेतु आवेदन प्राप्ति की समय सीमा बढ़ाये जाने की सूचना’**

म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58(1) (क) एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 50 के तहत प्रदेश शीर्ष, केन्द्रीय एवं प्राथमिक स्तर की विभिन्न वर्गों एवं भिन्न कारोबार वाली सहकारी संस्थाओं के वैधानिक अंकेक्षण हेतु रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पेनल तैयार करने के लिए इच्छुक योग्य एवं अनुभवी संपरीक्षक एवं संपरीक्षक फर्म के ऑनलाईन आवेदन दिनांक 01.02.2024 से दिनांक 09.02.2024 तक बुलाये जाने की समयावधि निर्धारित की गयी थी। आवेदन प्राप्ति की समयावधि बढ़ायी जाकर दिनांक 16.02.2024 तक नियत की जाती है।

आवेदन हेतु नियम विभागीय पोर्टल <http://www.mp.nic.in/ecocooperatives> पर उपलब्ध है। मेन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। योग्यता, अनुभव एवं शर्तों तथा आवेदन प्रक्रिया के संबंध में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना उपरोक्त वेब पोर्टल पर ही दी जावेगी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक  
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश